

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2016/फाल्गुन 6, 1937
No. 125]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2016/PHALGUNA 6, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 193(अ).—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186(अ), दिनांक 13 मार्च, 2015 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केंद्र सरकार एतद्वारा एक वर्षकी अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- | | | |
|------|--|-----------|
| i. | माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली | - अध्यक्ष |
| ii. | माननीय न्यायमूर्ति सुश्री इन्दरमीत कौर | - सदस्य |
| iii. | माननीय न्यायमूर्ति सुश्री संजीव सचदेवा | - सदस्य |

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2016 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. यू.11016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनन्दा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : दिनांक 13 मार्च, 2015 की अधिसूचना सा. का. नि. 186(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड-(i) में दिनांक 13 मार्च, 2015 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2016

G.S.R. 193(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 186(E) dated 13th March, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year consisting of :-

- (i) Hon'ble Ms. Justice Hima Kohli—Chairperson
- (ii) Hon'ble Ms. Justice Indermeet Kaur—Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice Sanjeev Sachdeva—Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2016.

[F. No. U-11016/01/2011-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.

Foot note.—The Notification G.S.R.186(E), dated 13th March, 2015 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) on 13th March, 2015.